

FORM NO. III



फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
गोपालराम पुत्र रूगाराम जाति जाट वगै, बनाम  
सा. गुलजारनगर टोडास तह. कुचामन सिटी

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान  
रूगाराम पुत्र बिरमाराम जाति जाट वगै,  
सा. गुलजारनगर टोडास तह. कुचामन सिटी

किस्म मुकदमा : 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 246/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस् हुक्म की तारीख में जारी हुआ
18.10.2022	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (ब्रह्मलाल जाट)                      उपखण्ड अधिकारी, नावां                 </p> <p>16/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 6/12/22 को पेश हो।</p> <p>6/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 22/12/22 को पेश हो।</p> <p>22/12/22 अधिवक्ता वादी उपर। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से बजरंगलाल बिजारणियां ने बकालत नामा पेश किया जो शामिल मिशाल हो पत्रावली वरति बकाया तलबी व जवाब कि 4/1/23 को पेश हो।</p> <p>4/1/23 पत्रावली पेश वार एसोसियेशन में कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इत्याका बहार दिनांक 17/1/23 को पेश हो।</p> <p>17/1/23 उग्रपक्ष उपर। बकाया की तलबी पेश काने हेतु दिहापत ही रही कि 9/2/23 को पेश हो।</p>	

9/3/23

पत्रावली पेश हुई। बकील बार अध्यक्ष के द्वारा आज हुक्म स्वीकृत रखा है। पत्रावली दिनांक 9/3/23 को पेश हो।

SR

9/3/23

पत्रावली पेश हुई। बकील बार अध्यक्ष के द्वारा आज हुक्म स्वीकृत रखा है। पत्रावली दिनांक 6/4/23 को पेश हो।

SR

28/3/23

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र का निवेदन किया कि इस पत्रावली में पञ्जाब के शासकीय समझौते से राजीनामा कर लिया है। शर्तित इस पत्रावली को आज ही लम्ब कर जलिये विज्ञापन खोजि किया जावे।

शर्तः वादीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर वादीगण का वाद पत्र जलिये विज्ञापन खोजि किया जाता है। पत्रावली के तहत शुमार होकर नम्बर से कम हो व दायित्व रक्षित हो।

उपखण्ड अधिकारी  
नावां (नागौर)